



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239394
CG-DL-E-07102022-239394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4454]
No. 4454]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4662(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के कि.मी 149.988 से 150.087 पर नए प्रमुख पुल रेत का निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारि को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के कि.मी. 149.988 से 150.087 पर नए प्रमुख पुल रेत का निर्माण हेतु पर
भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तहसीलदार, केसिंगा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	कालाहांडी	केसिंगा	1 बोरिआ

	()	NH26 के कि.मी. 149.988 से 150.087 तक					2	जोलको
--	----	---	--	--	--	--	---	-------

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]
राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2022

S.O. 4662(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of new major bridge RET from k.m. 149.988 to 150.087 on National Highway No. 26 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

**Land acquisition for construction of new major bridge RET from k.m. 149.988 to 150.087 on
National Highway No. 26 in the State of ODISHA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Tahasildar, Kesinga ()	149.988K.M. To 150.087 K.M.	ODISHA	KALAHANDI	Kesinga	1	Boria
						2	Jolko

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]
RAJESH GUPTA, Director